...ालय उपखण्ड ..... अधिकारी ..... कठूमर जिला अलवर

...Y/83/15

तारीख रजू.....

खपी — बनाम — बिंकी वगैरा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7-2015	आज यह वाद वकील वादी श्री संजयकुमार अवस्थी ने हाजिर होकर पेश किया कार्यालय रिपोर्ट ली गयी पत्रावली तलबी प्रतिवादीगण में दि० 20/8/15 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
20/8/15	बकुलाय फेरीकेन नं०/P.O. साहब ..... पत्रावली दिनांक 15/10/15 को पेश हो।	
15/10/15	बकुलाय फेरीकेन नं०/P.O. साहब ..... पत्रावली दिनांक 27/1/16 को पेश हो।	
27/1/16	बकुलाय फेरीकेन नं०/P.O. साहब मिसिल मे ..... पत्रावली दिनांक 8/3/16 को पेश हो।	
8/3/16	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं० की ओर से पत्रावली अप्राप्त एवं वे बराबर आदेश किया। वास्ते चलान नं० 82 की तलबी पत्रावली दिनांक 21/3/16 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/6/22	[illegible] P.O. [illegible] दाखिल [illegible] [illegible] दिनांक 12/8/22 को पेश हो।
12/8/22	[illegible] P.O. दाखिल [illegible] [illegible] दिनांक 7/10/22 को पेश हो।
7/10/22	[illegible] उपस्थित [illegible] की पालना [illegible] जवाब व तलबी [illegible] दिनांक 2/12/22 [illegible] हो। [illegible] अधिकारी [illegible]
2.12.22	[illegible] P.O. दाखिल अवकाश [illegible] [illegible] दिनांक 10.2.23 को पेश हो।
10/2/23	[illegible] वकील वादी द्वारा शेष की तलबी हेतु आज डिमांड तथा तलबाना पेश नहीं किया है। इस बाबत वादी वकील को कई बार 2 मौके प्रदान किये जा चुके है। बावजूद मौको के तलबाना पेश नहीं किया गया है। अतः दावा वादी तलबाना के अभाव में की संक्षेप [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] कुमार [illegible] [illegible] तहसील [illegible] [illegible] ही रुकना। उपखण्ड अधिकारी [illegible]